रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 1986/वैशाख 12, 1908
No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 1986/VAISAKHA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**संचार मंत्रालय**

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार बोर्ड)

नई दिल्ली, 2 मई, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 729 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1981 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती संशोधन नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. तार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1981 में,—

(क) नियम 1 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1981 है" ;

(ख) अनुसूची में,—

(1) स्तंभ 3 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"दूरसंचार इंजीनियरी सेवा, समूह "ख", राजपत्रित ।" ;

(2) स्तंभ 13 के नीचे की प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(1) सदस्य (कार्मिक), दूरसंचार बोर्ड—अध्यक्ष

(2) उप महानिदेशक (टी), दूरसंचार विभाग—सदस्य

(3) निदेशक (कर्मचारिवृन्द दूरसंचार) दूरसंचार विभाग—सदस्य

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समुचित प्रास्थिति का एक अधिकारी—सदस्य ।" ;

(ग) परिशिष्ट 1 में, पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. परीक्षा के प्रत्येक भाग में प्रवेश पाने की पात्रता निम्नलिखित होगी :—

(क) विभागीय अर्हता परीक्षा :—

(1) ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर, जो उस वर्ष के, जिसमें ऐसी परीक्षा की घोषणा की जाती है, साधारणतया कम से कम पांच वर्ष पूर्व वाले वर्ष में हुई रिक्तियों पर उस श्रेणी में भर्ती किए गए थे ।

(2) ऐसे भूतपूर्व कंपनी पदधारी, जो उस वर्ष के, जिसमें उक्त परीक्षा की घोषणा की जाती है, साधारणतया कम से कम पांच वर्ष पूर्व कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में या समतुल्य पद पर नियुक्त किए गए थे ।

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा :—

(1) ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर, जो उस वर्ष के, जिसमें ऐसी परीक्षा की घोषण की जाती है, साधारणतया कम से कम पांच वर्ष पूर्व वाले वर्ष में हुई रिक्तियों पर उस श्रेणी से भर्ती किए गए थे ।

(2) ऐसे भूतपूर्व कंपनी पदधारी, जो उस वर्ष के, जिसमें उक्त परीक्षा की घोषणा की जाती है, साधारणतया कम से कम पांच वर्ष पूर्व कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में या समतुल्य पद पर नियुक्त किए गए थे ।

(घ) परिशिष्ट 2 में, पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. ऐसे पदधारी, जो उस वर्ष के, जिसमें परीक्षा की घोषणा की जाती है, साधारणतया कम से कम पांच वर्ष पूर्व कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में या समतुल्य पद पर नियुक्त किए गए थे, परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे ।",

(ङ) परिशिष्ट 3 के पैरा 2 में, खंड (ii) के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक साधारण अभ्यर्थियों के लिए **प्रत्येक प्रश्नपत्र** में 50 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए **प्रत्येक प्रश्नपत्र** में 45 प्रतिशत होंगे और सफल अभ्यर्थियों के नाम, चयन गुणागुण के आधार पर गुणागुण सूची में सम्मिलित किए जाएंगे । समान अंकों के लिए, कनिष्ठ इंजीनियर के काडर में ज्येष्ठता, संपूर्ण ज्येष्ठता में नियोजन करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा चयन किए गए व्यक्तियों के साथ साथ अभिभावी होगी । (यदि प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा अंतिम स्थान के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी हैं तो ज्येष्ठतम पदधारी को वह स्थान दिया जाएगा और शेष को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा कोई भी प्रतियोगिता सूची अगले चयन तक आगे नहीं ले जाई जाएगी) "।

[फा. सं. 232/22/85-एस. टी. जी.-II/पी. टी.-II)]

सी. के. रेड्डी, सदस्य (कार्मिक), दूरसंचार बोर्ड और पदेन अपर सचिव

व

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommuncations)

(Telecom. Board)

New Delhi, 2nd May, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 729(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Telegraph Engineering Service (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Telegraph Engineering Service (Group 'B' posts) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telegraph Engineering Service (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1981, —

(a) for sub-rule (1) of rule 1, the following sub-rule shall be substituted; namely :—

"(1) These rules may be called Telecommunications Engineering Service (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1981.";

(b) in the Schedule, —

(i) for the entry under column 3, the following entry shall be substituted; namely :—

"Telecommunication Engineering Service Group 'B' Gazetted.";

(ii) for the entries under column 13, the following entries shall be substituted; namely :—

'Group 'B' Departmental Promotion Committee comprising of —

(1) Member (Personnel) Telecom. Board — Chairman.

(2) Deputy Director General (T), Department of Telecommunications —Member.

(3) Director (Staff-Telecommunication); Department of Telecommunications —Member.

(4) An officer of appropriate status belonging to SC/ST. —Member.";

(c) In Appendix I, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted; namely :—

"5. The eligibility for appearing in each part of examination shall be:—

(a) Departmental Qualifying Examination:—

(i) Junior Engineers recruited in that grade against the vacancies of a year ordinarily for not less than five years prior to the year of announcement of such examination.

(ii) Ex-company officials, appointed as Junior Engineer or equivalent post ordinarily for not less than five years prior to the year of announcement of the said examination.

(b) Limited Departmental Competitive Examination :—

(i) Junior Engineers recruited in that grade against the vacancies of a year ordinarily not less than five years prior to the year of announcement of such examination.

(ii) Ex-company officials, appointed as Junior Engineer or equivalent post ordinarily for not less than five years prior to the year of announcement of the said examination." ;

(d) In Appendix II, for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted; namely :—

"6. Such of the officials appointed as Junior Engineer or equivalent post ordinarily for not less than five years prior to the year of announcement of the examination, shall be eligible to appear in the examination." ;

(e) In Appendix III, in paragarph 2, for subclause (a) of Clause (ii) the following sub clause shall be substituted; namely :—

"(a) The minimum pass marks in the examination shall be 50 per cent in each paper for general candidates and 45 per cent in each paper for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the names of successful candidates shall be included in the merit list on the basis of selection merit. For equal marks, the seniority in the Junior Engineers cadre shall prevail while making placement in the overall seniority, alongwith those selected by the Departmental Promotion Committee. (In case there are more than one candidate for the last place by competitive examination, the seniormost official shall have the place and the rest shall be rejected and no competitive list shall be carried over to the next selection)".

[File No. 232|22|85-STG-II|PtII]

C. K. REDDI, Member (Personnel)
Telecom, Board and Ex Officio Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

# EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3 SUB. SEC. (i)

Appearing on Page No. 767

Dated 28-3-87

## संचार मंत्रालय
## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1987

सा.का.नि. 230.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तार इंजीनियरी सेवा (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1981 में—

(क) परिशिष्ट 1 के पैरा 2 में—

(i) खंड (i) में "66-2/3 प्रतिशत ऐसे पदधारियों में से" अंकों और शब्दों के पश्चात् "ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर" शब्द जोड़े जाएंगे।

(ii) खंड (iii) में "समिति द्वारा चयन की पद्धति द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "समिति द्वारा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) परिशिष्ट 2 की पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. प्रोन्नति कोटा के 66-2/3 प्रतिशत में नियुक्ति पैरा 2 में उल्लिखित काडरों के ऐसे कर्मचारियों में से, जो विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएगी।"

टिप्पणी :

मूल नियम भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय की तारीख 7 मई, 1981, सा.का.नि. 323 (अ) में प्रकाशित किये गये थे। तत्पश्चात् इनका सा.का.नि. 729 (अ), तारीख 2 मई, 1984 द्वारा संशोधन किया गया था।

[सं. 232/22/85-एस.टी.जी.-2]

आर.एन.कोले, सहायक महानिदेशक (एस.जी.टी.)

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1987

G.S.R. 230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Telegraph Engineering Service (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Telecommunications Engineering Service (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telegraph Engineering Service (Group 'B' Posts) Recruitment Rules 1981,—

(a) in paragraph 2 of Appendix 1,—

(i) in clause (i), the words "on the basis of seniority-cum-fitness" shall be added at the end;

(ii) in clause (iii), for the words "by the method of selection", the words "on the basis of seniority-cum-fitness" shall be substituted;

(b) in Appendix II, for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"3. Appointment to the 66-2/3rd per cent of the promotion quota shall be on the basis of seniority-cum-fitness on the recommendations of the Departmental Promotion Committee from amongst the employees belonging to the cadres mentioned in paragraph 2 who qualify in a Departmental Qualifying Examination."

Note:—

The principal rules were published with the Government of India, in the Ministry of Communications No. G.S.R. 323(E), dated the 7th May, 1981.

Subsequently amended by — G.S.R. 729(E), dated the 2nd May, 1986.

[No. 232/22/85-STG-II]

R. N. KOLEY, Asstt. Director General (Sgt)



MGIPRRND—5 M of Communication/86—VIII—29-4-87—500